



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1935 (श०)
(सं० पटना 388) पटना, बुधवार, 15 मई 2013

सं० ICDS/40015/49-2012/2243

समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

संकल्प
9 मई 2013

विभागीय संकल्प संख्या— आई.सी.डी.एस.—भवन निर्माण—693/2008—3024 दिनांक 04.09.2008 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि चाहे तो वे निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत अपनी जमीन/बने—बनाये भवन को जमीन सहित बिहार के राज्यपाल के पदनाम से समेकित बाल विकास सेवा संबंधी भवन (ऑगनवाड़ी केन्द्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय) बनाने के लिए दान करते हैं तो उसका नामकरण दानकर्ता या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जा सकता। विभिन्न कारणों से इस योजना को वांछित सफलता नहीं मिल पायी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संकल्प को विलोपित करते हुये सरकार द्वारा निम्नांकित योजना बनायी जाती है :—

(1) यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी जमीन अथवा जमीन के साथ बने—बनाये भवन को ऑगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु बिहार के राज्यपाल के पदनाम से दान दिया जाता है तो उक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र का नामकरण दानकर्ता अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा। इस प्रकार के दान की स्थिति में दानकर्ता को कोई निबंधन शुल्क देय नहीं होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत किये जायेगे।

(2) इस योजना अन्तर्गत जमीन/मकान दान करने हेतु निम्नलिखित शर्तें रहेगी :—

- (i) इस योजना अन्तर्गत केवल भूमि दान की जा सकती है अथवा भूमि के साथ उसपर निर्मित भवन भी दान किया जा सकता है।
- (ii) ऑगनवाड़ी केन्द्र हेतु प्रस्तावित दान की भूमि का न्यूनतम रकबा पन्द्रह सौ वर्ग फीट होना चाहिए।
- (iii) अगर भूमि के साथ निर्मित भवन भी दान हेतु प्रस्तावित है तो निर्मित भवन का न्यूनतम रकबा छः सौ वर्गफीट होना चाहिए।
- (iv) भूमि/भवन ऑगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए तथा केन्द्र के लाभार्थियों के लिए आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए।
- (v) उस पोषक क्षेत्र में ऑगनवाड़ी केन्द्र के लिए पूर्व से सरकारी भवन निर्मित नहीं होना चाहिए।
- (vi) भूमि/भवन किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त होना चाहिए।

(vii) केन्द्र का नामाकरण किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जायेगा जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो अथवा जिसका चरित्र विवादस्पद रहा हो। इस हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(3) उपर्युक्त योजनाओं के लिए जमीन/भवन की उपयुक्तता पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिला स्तर पर निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है:-

(क) जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ख) अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल	सदस्य
(ग) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग	सदस्य
(घ) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
(ङ.) संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सदस्य

(4) उक्त समिति समय-समय पर बैठक कर प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में जमीन/भवन की उपयुक्तता के संबंध में निर्णय लेगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा। विशेष परिस्थिति में मापदण्डों/शर्तों में छूट देने अथवा अन्य बिच्छुओं पर निर्णय लेने हेतु यह समिति आई.सी.डी.एस. निदेशालय को अनुशंसा करेगी। आई.सी.डी.एस.निदेशालय उक्त अंकित मापदण्डों तथा शर्तों में छूट देने अथवा अन्य निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनर्हानी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 388-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>